न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर R-756-2017

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2017–अनुपपुर

1. हरिओम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद ताम्रकार, सह–व्यवस्था प्रमुख, सरस्वती बाल सेवा समिति, अनुपपुर म0प्र0
2. मूलचन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री बृन्द्रावन अग्रवाल, संस्थापन सदस्य, सरस्वती बाल सेवा समिति, अनुपपुर म0प्र0

—— आवेदकगण

बनाम

(1) विपीन पुत्र श्री रामसरन हलवाई, निवासी ग्राम सामतपुर, तहसील व थाना व जिला – अनुपपुर म0प्र0 —— अनावेदक

(2) शासन

निगरानी आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–संहिता, 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश तहसीलदार अनुपपुर, जिला अनुपपुर के प्रकरण क्रमांक 1अ3/2014–15 आदेश दिनांक 14.10.2014 को पारित, जिसकी प्रमाणित नकल दिनांक 16.02.2017 को प्राप्त हुई।

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, भूमि ग्राम सामतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 292/2क/4 नक्सा तरमीम का आदेश पूर्व में तहसीलदार अनुपपुर के प्रकरण क्रमांक 13/अ–12/1987–88 आदेश दिनांक 15.04.1988 को सरस्वती बाल सेवा समिति अनूपपुर के पक्ष में पूर्व में हो चुका है फिर दुबारा इसी नम्बर का नक्सा तरमीम प्रकरण क्रमांक 1अ3/2014–15 आदेश दिनांक 14.10.2014 पंजीबद्ध कर बिना पक्षकार को सूचना दिये बिना, आदेश पारित कर दिया ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त् किये जाने योग्य है।

निगरानी के आधार निम्न प्रकार पेश है :–

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 756-दो/2017 जिला अनूपपुर हरिओम **विरूद्ध** विपीन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 1अ3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 14-10-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-02-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	

	लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोंट कराया जाये । (आर.के. जैन) 31-12-18 सदस्य	